नियमावली

1. संस्था का नाम — इण्डियन इकोनोमिक एसोसिएशन
2. संस्था का पता — कावेरी एन्क्लेव, फेस–1, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारत होगा
4. संस्था के उद्देश्य — संस्था उद्देश्य स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :–
   1. **साधारण सदस्य** :– अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित सदस्यता शुल्क रु0 1000/– वार्षिक जमा करके साधारण सभा का सदस्य बन सकता है ।
   2. **आजीवन सदस्य** :– अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति रु0 5000/– देकर जीवन भर के लिए सदस्य बन सकता है ।
   3. **संस्थागत सदस्य** :– अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाली कोई भी संस्था या संगठन रु0 5000/– प्रतिवर्ष देकर संस्थागत सदस्य बन सकता है ।
   4. **दानदाता सदस्य** :– कोई भी व्यक्ति रु0 15,000/– एक मुश्त देकर दानदाता सदस्य बन सकता है ।
   5. **एसोसिएट सदस्य** :– अर्थशास्त्र में रुचि लेने वाला कोई भी छात्र इसका सदस्य हो सकता है । ऐसे सदस्य का सदस्यता शुल्क रु0 500/– वार्षिक होगा ।
   6. **संरक्षक सदस्य** :– कोई भी व्यक्ति एक मुश्त रु0 30,000/– देकर संरक्षक सदस्यता प्राप्त कर सकता है ।

   नोट–दानदाता सदस्यता तथा संरक्षक सदस्यता, संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध होगी तथा यह क्रमशः 5 तथा 10 वर्ष के लिये होगी । इस प्रकार की सदस्यता के सम्बन्ध में निर्णय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया जायेगा ।

6. सदस्यता की समाप्ति :–
   1. सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
   2. आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर।
   3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर।
   4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
   5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
   6. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
   7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।
7. संस्था के अंग :– (अ) साधारण सभा, (ब) कार्यकारिणी समिति
8. साधारण सभा :– अ. गठन :– साधारण सभा का गठन सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

   ब. बैठकें :– साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक सचिव द्वारा नियमानुसार सूचना देकर कभी भी आहुत की जा सकती है । 10 प्रतिशत साधारण सदस्यों तथा आजीवन सदस्यों द्वारा अध्यक्ष से लिखित आग्रह करने पर, अध्यक्ष के आदेशानुसार भी साधारण सभा की विशेष बैठक सचिव द्वारा आहूत की जा सकती है ।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Scanned by CamScanner

स. सूचना अवधि :– साधारण सभा की सूचना कम से कम 1 माह पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व, सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी।

द. गणपूर्ति :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की 1/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि :– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा बहुमत से तय की जायेगी।

र. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संस्था की कार्यकारिणी समिति तथा पदाधिकारियों का का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का मूल्यांकन तथा अवोकन करना तथा गत वर्ष के अंकेक्षण को स्वीकृत करना ।
3. आगामी वर्ष के कार्यक्रमों तथा बजट को स्वीकृत करना ।
4. संस्था के नीति निर्धारण तथा कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी विषयों पर विचार एवं उचित निर्णय लेना ।
5. नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सम्बन्धी विषयों पर नियमानुसार विचार करना तथा निर्णय लेना ।
6. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकमों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

9. कार्यकारिणी समिति :–

अ. गठन :–

(i) कार्यकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा द्वारा किया जायेगा । साधारण सभा ही संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी समिति के 33 सदस्यों का निर्वाचन करेगी ।यह 33 सदस्य साधारण सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किये जायेंगे । इनमें से 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष नियमानुसार चक्रीय क्रम में अवकाश प्राप्त करेंगे तथा साधारण सभा उनके स्थान पर नये सदस्यों को निर्वाचित करेगी। साधारण सभा द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार किया जायेगा जिससे सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो सके ।

(ii) सभी पूर्व अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति में विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में बैठक में शामिल होंगे ।

(iii) इन्डियन इकॉनोमिक एसोसिएशन ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड डेवेलपमेंट के अध्यक्ष तथा मैनेजिंग ट्रस्टी भी कार्यकारिणी समिति में विशेष आमन्त्रित के रूप में निमन्त्रित किये जायेंगे ।

ब. बैठकें :– कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार संस्था के वार्षिक सम्मेलन के समय आहूत की जायेगी ।

स. सूचना अवधि :– कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व उचित माध्यमों से देना अनिवार्य होगा ।

द. गणपूर्ति :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

सत्य प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner

य. **रिक्त स्थान की पूर्ति** :– कार्यकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो इस स्थान की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी।

र. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. साधारण सभा द्वारा पारित कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु प्रयास करना ।
2. साधारण सभा की बैठकों की तैयारी करना ।
3. साधारण सभा की बैठकों के अंतरालों के बीच साधारण सभा के अधिकारों का प्रयोग करते हुए संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त प्रयास करना ।
4. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा उसे साधारण सभा से पारित कराना ।
5. संस्था के विकास हेतु उप इकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।
6. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।

10. **पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. अध्यक्ष

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना तथा संस्था की आम देखभाल करना।
4. अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

2. उपाध्यक्ष –

1. अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।
2– सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना।
3' उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा ।

3. सचिव [redacted]

1. सचिव [redacted] संस्था की समस्त वित्तीय गतिविधियों का संचालन करेगा ।
2. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग की कार्यवाही लिखना तथा उसको संरक्षित करना ।
3. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।
4. संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा करना, दान–अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, सम्पत्ति तथा सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा रखना तथा उसका उचित विवरण तैयार करना ।
5. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना ।
6. साधारण सभा के सदस्य बनाने का अधिकार सचिव होगा ।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

6

Scanned by CamScanner

4. प्रबन्धक सम्पादक–

"इन्डियन इकॉनोमिक जनरल" का प्रबन्ध सम्पादक–जिसका चुनाव साधारण सभा द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के लिये कार्यकारिणी समिति की सिफारिश पर किया जायेगा ।

5. अवैतनिक स्थानीय सचिव–

वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्था से परामर्श करके अध्यक्ष द्वारा अवैतनिक स्थानय सचिव की नियुक्ति की जायेगी ।

11. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रकिया :–

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0 रजि0 अधि0 की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा की 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :–

संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परिक्षण :–

संस्था का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सत्र समापित पर किसी योग्य ऑडिटर व आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव द्वारा अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख :–

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. कैश–बुक, रशीद बुक
4. एजेंडा रजिस्टर
5. निरीक्षण रजिस्टर

16. संस्था का विघटन :–

यदि भविष्य में कभी संस्था का विघटन होता है तो संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक :– 15/09/2016

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Scanned by CamScanner

प्रमाणपत्र कमांक 003948

प्रारूप –8

नियम 7(2) देखिये

संख्या 4860

दिनांक 7-10-16

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या 1160 पत्रावली संख्या एजी–65692 दिनांक 2016-2017

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि * इण्डियन इकोनोमिक एसोसिएशन, पता–कावेरी एन्चलेव फेस–1,स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़। को आज

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह प्रमाण–पत्र 05-10-2021 तक विधि मान्य होगा ।

आज दिनांक 06 - 10 दो हजार 16 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

*सोसाइटी का नाम, पता

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सो० फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1373)–2,00,000 प्रतियां (क० / टी० / ऑफसेट)।

Scanned by CamScanner